

**HON'BLE BOARD OF REVENUE, GWALIOR.**

Revision Petition No. \_\_\_\_\_/2012

APPLICANTS : 1. Purushottam (Dead) through legal representatives:

R- 1193-I/12

अभियोगकर्ता:  
द्वारा आज दि. 03.05.12 को  
प्रस्तुत  
कॉपी  
युजर्स ऑफ कोर्ट  
नगरपालिका म.ज. ग्वालियर

- a) Gopal S/o late Shri Purushottam, aged 20 years, Occupation: Agriculturist
- b) Govind S/o Late Shri Purushottam, aged 18 years, Occupation: Agriculturist
- c) Pushpa W/o Late Shri Purushottam, aged 50 years, Occupation: Housewife.

HP  
3.5.12

2. Murari S/o Harnath, aged 45 years, Occupation: Agriculturist,
3. Bharat Singh S/o Harnath, aged 40 years, Occupation: Agriculturist.

All are R/o Vill. Gurnaуда, Tehsil: & Distt. Sheopur.

-Versus-


- RESPONDENTS:
1. State of M.P. through the Collector, Distt. Sheopur (M.P.)
  2. The Tehsildar, Manpur, Distt. Sheopur.

**REVISION UNDER SECTION 50 OF THE MPLRC ARISING OUT OF THE ORDER DATED 5.3.2012 PASSED BY THE ADDITIONAL COLLECTOR, DISTT. SHEOPUR IN REVISION NO.86/10-11**

**न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/1193/दो/2012/श्योपुर/भूरा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल गुप्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 86/2010-11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05/03/12 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त <del>चंबल</del> संभाग <del>मुर्ना</del> के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुर्ना</u></p>	<p align="right">               सदस्य           </p>